

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(13) आरडी/नरेगा/ह.रा./2009-10/पार्ट-II जयपुर, दिनांक:- 11/3 JUL 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

विषय:- हरित राजस्थान के प्रगति प्रतिवेदन के संबंध में।


महोदय,

हरित राजस्थान के क्रियान्वयन की प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवार को राज्य की वेबसाइट [www.rdprd.gov.in](http://www.rdprd.gov.in) पर अपलोड की जानी है। प्रगति प्रतिवेदन का लिंक वेबसाइट पर 15 जुलाई से पूर्व उपलब्ध हो जायेगा।

प्रगति प्रतिवेदन प्रारूप संलग्न कर लेख है कि आप अपने स्तर से योजना से जुड़े सभी विभागों को इसकी प्रति प्रेषित कर विभागवार सूचना प्राप्त कर आपके स्तर पर दिनांक 20.07.09 से प्रत्येक सोमवार इस वेबसाइट पर आवश्यक रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यरत एमआईएस मैनेजर इसके लिए नोडल ऑफिसर होंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

  
(जी.एस.सन्धि)

प्रमुख शासन सचिव

हरित राजस्थान परियोजना के अंतर्गत सामाहिक रूप से प्रेषित की जाने वाली सूचना का प्रस्तावित प्रारूप :-

जिला :-

सामाहिक सूचना - दिनांक

(रविवार) से

(शनिवार) तक (प्रत्येक सोमवार को प्रविष्ट की जावे)

क्रम	विभाग/ संस्था का नाम (सूची-1 देखें)	योजना का नाम जिनसे कार्य स्वीकृत किये गये (सूची-2 देखें)	पैथारोपण/ विकास कार्य की प्रकृति (सूची-3 देखें)	क्षेत्र (ग्रामीण / शहरी)	समाह के दौरान स्वीकृत		समाह के दौरान उपलब्धि		क्षेत्रफल- हेक्टेयर में
					कार्या की संख्या	लगाये जाने वाले वृक्षों की कुल संख्या	लगाये गये वृक्षों की संख्या	सड़क की लम्बाई किमी में	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
2.									
3									
4									
5.									
6.									
7									
8									

एक विभाग के लिये एक से अधिक योजना के अंतर्गत पैथारोपण होने की स्थिति में प्रगति पृथक-पृथक दर्शायी जाये ।

इसी प्रकार कार्य की प्रवृत्ति एक विभाग के लिये एक से अधिक होने की स्थिति में प्रगति पृथक-पृथक दर्शायी जाये ।

सूची -1 विभागों के नाम	सूची -2 योजना के नाम	सूची -3 कार्य की प्रकृति के नाम
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पंचायती राज</li> <li>2. नगरीय विकास</li> <li>3. शिक्षा</li> <li>4. गृह</li> <li>5. चिकित्सा</li> <li>6. उद्योग व शिको</li> <li>7. सा.नि.वि.</li> <li>8. सिंचाई</li> <li>9. वन</li> <li>10. महिला अर्थि.</li> <li>11. परिवहन विभाग</li> <li>12. जल ग्रहण व भू-संरक्षण</li> <li>13. सेना/सशस्त्र बल</li> <li>14. एन.जी.ओ./ट्रस्ट/अप्रवासी/FICCI/ Lions/Rotary/Eco Clubs आदि</li> <li>15. अन्य</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. नरेगा</li> <li>2. वानिकी</li> <li>3. अन्य</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. सड़क किनारे</li> <li>2. सरकारी भूमि</li> <li>3. वन क्षेत्र</li> <li>4. चारागाह</li> <li>5. संस्थाओं में</li> <li>6. जलग्रहण क्षेत्र</li> <li>7. आयसीय कालोनी *</li> <li>8. अन्य</li> </ol>